कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला देवास

क्रमांक / 2026 / डीडीआरसी / 2023-24 /

देवास, दिनांक 18/06/20

प्रति,

अपर संचालक
(विज्ञापन)
जनसम्पर्क संचालनालय
म0प्र0 शासन बाणगंगा रोड़
भोपाल (म0प्र0)

विषय :- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, देवास की विज्ञप्ति का प्रकाशन बाबत् ।

जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, देवास में संविदा पर पद रिक्त हैं । इन पदों की पूर्ति हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी किया जाना हैं । संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रारूप संलग्न हैं । इसे रोजगार एवं निर्माण समाचार पत्र एवं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र (1) दैनिक भास्कर (2) पत्रिका में प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- संक्षिप्त विज्ञप्ति ।

कलेक्टर
जिला देवास म0प्र0

पृ. / क्रमांक / 2027 / डीडीआरसी / 2023-24 /

देवास, दिनांक-18/06/2

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल म.प्र.
02. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म.प्र. भोपाल ।
03. सहायक संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उज्जैन संभाग उज्जैन ।
04. सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला देवास की ओर प्रकाशनार्थ ।

कलेक्टर
जिला देवास म0प्र0

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक /2028/डीडीआरसी/2023–24/ देवास, दिनांक:- 18/06/202

:: संक्षिप्त विज्ञप्ति ::

जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र, देवास के लिये कुल 02 पदों पर एक वर्ष की संविदा अवधि पर निर्धारित मानदेय पर कार्य करने के इच्छुक पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

पदनाम, संख्या, न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव आदि संबंधित जानकारी जिले की वेबसाइड www.dewas.nic.in अथवा कार्यालयीन समय में कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग देवास से प्राप्त कर सकते हैं । आवेदन अंतिम तिथि 09/07/2024 तक कार्यालयीन समय सायं 06:00 बजे तक (अवकाश के दिनों को छोडकर) जमा करना होगा। समायावधि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन मान्य नहीं होगा ।

कलेक्टर
जिला देवास म0प्र0

Annexure 1

S. No.	Post	Qualifications	No of Post	Honorarium (in Rs)
02.	Mobility Instructor	Matriculation & Certification Diploma in Mobility Preferably Bachelor in Mobility Science (B.M.Sc.) Or D.Ed.Spl.Ed./B.Ed.Spl.Ed. in Visual Impairment	01	14500
04.	Vocational Counsellor Cum Computer Assistant	Diploma in Vocational Rehabilitaion (DVR)/ Advanced Diploma in Child Guidance and Counselling (ADCGC)/ Bechelor of Rehabilitaion Science (B.R.Sc.)	01	14500

कलेक्टर
जिला देवास म0प्र0

नियम एवं संबंधित शर्ते :–

01. उक्त पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगे ।
02. सभी दिव्यांग पुनर्वास पेशेवर को जीवित पंजीयन (RCI) होना अनिवार्य हैं ।
03. उक्त पद पूर्णतः अशासकीय हैं । शासन पक्ष के विरूद्ध न्यायालय में कोई प्रकरण प्रस्तुत करने की स्थिति शून्य मानी जायेगी ।
04. उक्त पद पर नियुक्ति एक वर्ष के संविदा पर रहेगी । कार्य में गुणवत्ता/संतोषजनक नहीं पाये जाने पर केन्द्र अध्यक्ष/सचिव द्वारा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर नियुक्ति समाप्त की जायेगी एवं आवेदक की नियुक्ति के बाद किसी अपरिहार्य कारणों से सेवाए छोडी जाती हैं तो एक माह का मानदेय जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र देवास में जमा कराना होगा ।
05. नियुक्ति में पात्र पाये जाने पर 15 दिवस में चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
06. मेडिकल प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अयोग्य पाये जाने पर बिना सूचना के नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी ।
07. नियुक्त व्यक्ति के शैक्षणिक एवं अन्य आर्हताये संबंधि प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रृटि पाएं जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जायेगी ।
08. कार्यालय में नियुक्त किए गए आवेदक को उपस्थित प्रतिवेदन के साथ 1000 रूपए का स्टॉम्प पर अनुबंध कराना होगा ।
09. आवेदन पत्र स्वयं के हस्ताक्षर अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 09/07/2024 को कार्यालयीन समय तक कलेक्टर कार्यालय सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला देवास अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना चाहिए इसके उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।
10. संविदा चयन का आधार मेरिट के आधार पर रहेगा । दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला प्रबंधन दल द्वारा तिथि निर्धारित की जावेगी । आवेदको को दस्तावेज सत्यापन में शामिल किये जाने की सूचना आवेदकों के पत्राचार पते पर पंजीकृत डाक द्वारा दी जावेगी । आवेदक को डाक विलंब से मिलने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी । दो आवेदको के समान अंक प्रतिशत होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी ।
11. उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की भर्ती संबंधी चयन प्रकिया अंतर्गत आयु एवं आर्हता तथा अन्य के संबंध में राज्य सरकार के नियम निर्देश लागू होंगे ।
12. नियुक्ति जिला प्रबंधन दल देवास द्वारा की जावेगी, भर्ती प्रकिया में जिला प्रबंधन दल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
13. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति उपरांत पदस्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा ।
14. पदो हेतु आवेदनों की स्कूटनी के उपरांत मेरिट आधार पर जिला प्रबंधन दल के द्वारा निर्णय लिया जावेगा ।
15. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग, नईदिल्ली के द्वारा जारी जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र संबंधि नवीन गाइडलाइन 01.04.2022 एवं मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भोपाल के द्वारा निर्देश नियम लागू होंगे ।
16. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, जिला प्रबंधन दल जिला देवास का निर्णय अंतिम होगा

कलेक्टर
जिला देवास म0प्र0